न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

आसीन अधिकारीः— अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
69/2025	11.07.2025	18/07/2025

1. भेरू उम्र 55 वर्ष पुत्र रामचंद्र जाति कोठारी निवासी कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. हनुमान उम्र 52 वर्ष पुत्र रामचंद्र जाति कोठारी निवासी कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
3. शंकर उम्र 48 वर्ष पुत्र रामचंद्र जाति कोठारी निवासी कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. छीतर पुत्र भंवर जी ब्राहम्ण उम्र नामालूम निवासी कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः—

1. श्री राधेश्याम वैष्णव एड0 प्रार्थी की ओर से

:— निर्णय —:

प्रार्थीगण ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि वादीगण प्रार्थीगण द्वारा आज ही श्रीमान् के न्यायालय में उपरोक्त वाद पत्र पेश किया है जिसमें कामयाबी की पुरी—पुरी सम्भावना हैं । वाके ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित साबिक आराजी खसरा नं० 263 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा बारानी अव्वल प्रार्थीगण के पिता रामचन्द्र पुत्र केसरसिहं जाति कोठ्यारी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की आराजीयात थी व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व से ही प्रार्थीगण के पिता ही काबिज काश्त थे जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम कुश्तला सं0 2011—12 के कॉलम सं0 32 में अंकित है । इसके बाद छीतर पुत्र भंवर जी ब्राहमण कोम ब्राहमण सा०देह (राहिन) हरिशंकर पुत्र अम्बालाल कोम ब्राहमण

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

सा0देह मुर्तहीन का इन्द्राज कर खातेदारी में दर्ज कर दी । जबकि आज भी उपरोक्त प्रार्थनाग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण ही काबिज काश्त हैं। दौराने सेटलमेन्ट प्रार्थनाग्रस्त आराजी के नवीन खसरा नं0 453 रकबा 1.04 है0 बना दिये एवं सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थनाग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने पर श्रीमान् सहायक भू0 प्रबन्ध अधिकारी, सवाई माधोपुर मुख्यालय टोंक को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अमीन द्वारा रिकोर्ड रिपोर्ट तैयार की व बयान एवं मौके की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 17.8.93 को इन्द्राज दुरस्ती का आदेश पारित किया 12 एवं श्रीमान् ए.आर.ओ. सवाई माधोपुर मु0 टोंक दिनांक 23.6.93 ग्राम कुश्तला के अनुसार नामान्तकरण सं0 1433 दिनांक 23.6.93 के आधार पर छीतर पुत्र भंवरजी कोम ब्राहमण सा0देह खातेदार के बजाय प्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण भरा गया एवं नवीन खतौनी बन्दोवस्त सं0 2059 से 2079 प्रार्थीगण के नाम जारी की गई जिसकी नकल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। वाद ग्रस्त आराजी खसरा नं0 263 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम कुश्तला के नवीन खसरा नं0 453 रकबा 1.04 हेक्टेयर बनाकर पर्चा खतौनी प्रार्थीगण के नाम जारी की परन्तु सेटलमेन्ट के बाद जारी जमाबन्दी में प्रार्थीगण के बजाय छीतर पुत्र भंवरजी ब्राहमण सा0देह खातेदार का नाम दर्ज कर दिया । जबकि प्रार्थीगण ही उपरोक्त भूमि पर काबिज काश्त है एवं प्रार्थीगण का एडवर्स पजेशन (जबरिया कब्जा) होने से खातेदार घोषित कराने का अधिकारी हैं। प्रार्थीगण के नाम मिसल हकीयत बन्दोबस्त जारी होने के बाद नवीन जमाबन्दी में नाम दर्ज नही होने की जानकारी नही थी । सर्वप्रथम उक्त जमाबन्दी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 30.10.12 नवीन जमाबन्दी की नकले लेने पर पता चला इसके बाद उक्त गलती का पता चला इस पर नकले लेकर प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। दावे में प्रथम दृष्टया केश सुविधा का सन्तुलन अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण को हो रही है इस वजह से प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमायें जाने की कृपा करें । मूल बाद पत्र के निस्तारण में काफी समय लगेगा यदि ता– फैसला दावा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीगण का दावा करने का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने में कामयाब हो जावेगें । अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण का ता– फैसला दावा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन प्रार्थना पत्र के मद नं0 3 में वर्णित कृषि भूमि ग्राम कुश्तला तहसील सवाई माधोपुर में स्थित है किसी अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था, नौकर, एजेन्ट व बैंक को रहन वय बैचान व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करें तथा अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा, मजाहमत मदाखलत न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति नोकर, एजेन्ट से न करावे न बेचान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तलबी की गयी। अप्रार्थी संख्या 1 की अखवार प्रकाशन के बाबजूद न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सूनी। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुऐ बताया है कि वाके ग्राम कुश्तला तहसील व जिला सवाई माधोपुर में स्थित साबिक आराजी खसरा नं० 263 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा बारानी अव्वल प्रार्थीगण के पिता रामचन्द्र पुत्र केसरसिहं जाति कोठ्यारी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की आराजीयात थी व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 लागू होने से पूर्व से ही प्रार्थीगण के पिता ही काबिज काश्त थे जिसका इन्द्राज खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम कुश्तला सं0 2011–12 के कॉलम सं0 32 में अंकित है । इसके बाद छीतर पुत्र भंवर जी ब्राहमण कोम ब्राहमण सा०देह (राहिन) हरिशंकर पुत्र अम्बालाल कोम ब्राहमण सा०देह मुर्तहीन का इन्द्राज कर खातेदारी में दर्ज कर दी । दौराने सेटलमेन्ट प्रार्थनाग्रस्त आराजी के नवीन खसरा नं0 453 रकबा 1.04 है0 बना दिये एवं सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थनाग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होने पर श्रीमान् सहायक भू0 प्रबन्ध अधिकारी, सवाई माधोपुर मुख्यालय टोंक को एक प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर अमीन द्वारा रिकोर्ड रिपोर्ट तैयार की व बयान एवं मौके की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 17.8.93 को इन्द्राज दुरस्ती का आदेश पारित किया 12 एवं श्रीमान् ए.आर.ओ. सवाई माधोपुर मु0 टोंक दिनांक 23.6.93 ग्राम कुश्तला के अनुसार नामान्तकरण सं0 1433 दिनांक 23.6.93 के आधार पर छीतर पुत्र भंवरजी कोम ब्राहमण सा०देह खातेदार के बजाय प्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण भरा गया एवं नवीन खतौनी बन्दोवस्त सं0 2059 से 2079 प्रार्थीगण के नाम जारी की गई। वाद ग्रस्त आराजी खसरा नं0 263 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम कुश्तला के नवीन खसरा नं0 453 रकबा 1.04 हेक्टेयर बनाकर पर्चा खतौनी प्रार्थीगण के नाम जारी की परन्तु सेटलमेन्ट के बाद जारी जमाबन्दी में प्रार्थीगण के बजाय छीतर पुत्र भंवरजी ब्राहमण सा०देह खातेदार का नाम दर्ज कर दिया। जो गलत है। अतः प्रप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन केया। प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 263 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा राजस्व ग्राम कुश्तला में स्थित है। उक्त साबिक खसरा नम्बर के नवीन नम्बर 453 रकबा 1.04 हैक0 बने है। खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) ग्राम कुश्तला सं0 2011–12 के कॉलम सं0 32 में छीतर पुत्र भंवर जी ब्राहमण कोम ब्राहमण सा०देह (राहिन) हरिशंकर पुत्र अम्बालाल कोम ब्राहमण सा०देह मुर्तहीन का इन्द्राज कर खातेदारी में दर्ज दिनांक 17.8.93 को इन्द्राज दुरस्ती का आदेश पारित किया 12 एवं श्रीमान् ए.आर.ओ. सवाई माधोपुर मु0 टोंक दिनांक 23.6.93 ग्राम कुश्तला के अनुसार नामान्तकरण सं0 1433 दिनांक 23.6.93 के आधार पर छीतर पुत्र भंवरजी कोम ब्राहमण सा०देह खातेदार के बजाय प्रार्थीगण के नाम नामान्तकरण भरा गया एवं नवीन खतौनी बन्दोवस्त सं0 2059 से 2079 प्रार्थीगण के नाम जारी की गई। वाद ग्रस्त आराजी खसरा नं0 263 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम कुश्तला के नवीन खसरा नं0 453 रकबा 1.04 हेक्टेयर बनाकर पर्चा खतौनी प्रार्थीगण के नाम जारी की परन्तु सेटलमेन्ट के बाद जारी जमाबन्दी में प्रार्थीगण के बजाय छीतर पुत्र भंवरजी ब्राहमण सा०देह खातेदार का नाम दर्ज कर दिया । जबकि प्रार्थीगण ही उपरोक्त भूमि पर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के कथनानुसार खातेदारी गलत लग जाने तथा वाद पत्र में समय लग जाने के कारण अप्रार्थीगण उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने के कारण एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

:– कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थीगण का धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण होने तक पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम कुश्लता के खसरा नम्बर 453 रकबा 1.04 हेक्टेयर का रहन बैचान नही करे एवं मौका/राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 18/07/2025 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की मूल वाद के साथ हमफीता की जावे।

(अनुप सिंह)
उप जिला कलक्टर
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner